भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AC 722069

मुहम्मद सईद एवं मुस्लिम वेलफेयर एज्युकेशनल सोसाइटी ग्राम -मीठा पो-भोपौरा

जिला मऊ AZ-12233

संशोधित स्मृति-पत्र

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उ0 प्र0 आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि

18/09/2014

सहायक निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आजमगढ़।

18/9/14

मिलानकर्ता 18-9-15

लिपिकर्ता

-: संशोधित स्मृति पत्र :-

१: संस्था का नाम : मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी ।

२: संस्था का पता : ग्राम- भीरा पो०- भोपौरा, तह० घोसी, जनपद - मऊ ।

३: संस्था कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

४: संस्था के उद्देश्य

१ : भारतीय संस्कृति, धर्म, परम्परा के आधार पर प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था एवं संचालन करना और इस्लामी दीनी तालिमी एदायरा कायम करना, और इनकी तजबीज के लिए मदारिस और दीगर बशायल अख्तेयार करना ।

२: गरीब, हरिजन विकलांग,मेघावी,निराश्रित मुस्लिम, हलालखोर बालक,बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने की व्यवस्था करना ।

३: निःशुल्क पुस्तकालय,वाचनालय,क्रीड़ा स्थलों,छात्रावासों आदि की स्थापना एवं संचालन करना एवं अल्संख्यक संस्थाओं की स्थापना करना जिससे अल्पसंख्यकों में शिक्षा का विकास हो सके जो मुल्क कौम के मुखलिस खादिम होना ।

४: विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्तर की विभिन्न नामों से विभिन्न शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना ।

५: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृति,उर्दू,अरबी,फारसी,अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संस्थाओं को अल्पसंख्यक घोषित कराना एवं अल्पसंख्यक वर्ग के संगठित एवं समन्वित करना एवं तहतानियाँ, फौकानियाँ व आलिया तक की तालिमी एदायरा कायम करना ।

६: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर उद्योग शिल्पकला,काष्ठकला,कम्प्यूटर,इलेक्ट्रानिक,टंकण,आशुलिपि,दरी बुनाई,कालीन बुनाई,सूत कातने, खादी वस्त्र बनाने आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना, वक्त जरूरत इस्तेहार निकालना और उससे संस्था के मकसद को आम करना ।

७: पर्यावरण संक्षरण एवं प्रदूषण निवारण हेतु जन-जागरण करना, तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन एवं वनों तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण की भावना का विकास करना ।

1- शहजाद
2- मु० आरिफ
3- सरफराज अहमद
4- शमीम अहमद
5- फरजाना खातून
6- नियाज अहमद
7- मकबूल अहमद

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
18/4/14

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

नियाज अहमद मकबूल अहमद शहजाद सरफराज अहमद

मु० आरिफ शमीम अहमद फरजाना खातून

८: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा लोगों को परिवार नियोजन की सही व एवं उचित सलाह देना तथा जगह-जगह नसबन्दी शिविरों एवं निःशुल्क दवाओं की स्थापना एवं संचालन करना ।

९: भारत सरकार द्वारा संचालित २५ सूत्रिय कार्यक्रमों को जनहित में संचालित करना

१०: उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना ।

११: ऊसर तथा बेकार भूमि का विकास कर रोजगार के अवसरों का सृजन करना ।

१२: स्वास्थ्य एवं समाज के निर्माण के लिए अन्धता, एड्स, अपंगता, कुष्ठ आदि रोगों के निवारण के लिए जन जागरण एवं सेवा करना ।

१३: ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं वृद्ध, अपंग, लाचार नागरिकों के सेवार्थ कार्यक्रम को संचालित करना ।

१४: कृषि विकास करना तथा पशु पालन, मुर्गी पालन,मत्स्य पालन, गौशाला आदि व्यवसाय को करने के लिए कोशिश करना ।

१५: दहेज, छुआछूत, बालविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विपरीत जनजागरण करना

१६: निरक्षण उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना तथा सरकारी प्रयासों मे सहयोग करना एवं अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को ऊँचा करने का प्रयास करना ।

१७: क्षेत्र के समग्र विकास परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रबृत्तियों एवं पैटर्न पर मुख्यतः खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रबृत्तियों एवं पैटर्न पर मुख्यतः खादी एवं ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की अन्य योजनायें बनाना तथा उसका संचालन करना ।

१८: संस्था के विकास के लिए सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट संस्थाओं, जनता तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उ०प्र० राज्य समाज कलयाण सलाहकार बोर्ड आदि से ऋण,अनुदान,दान, चदा आदि प्राप्त कर उसे संस्था के विकास में तथा चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना ।

१९: खादी की भावना एवं विचार के प्रचार-प्रसार एवं साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं प्रशिक्षण तथा उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करना ।

२०: कान्वेण्ट विद्यालयों, सी०बी०एस०सी० विद्यालयों, निःशुल्क नर्सिंग होम, मैटरनिटी सेन्टरों, पालन घर, यतीमखाना आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

२१: बालक, बालिकाओं के लिए बिना जाति, धर्म, वर्ग सम्प्रदाय के शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना ।

२२: संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करना ।

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

२३: बालक एवं बालिकाओं को बिना जाति, धर्म, सम्प्रदाय और वंश के भेद के सर्वोत्तम एवं सस्ती शिक्षा देकर उनका शारीरिक, बौद्धिक,अध्यात्कि एवं समाजसेवी नागरिक बनाना ।

२४: संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चन्दा, दान, उपहार एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं अन्य साधनों से राजकीय एवं अन्य अनुदान प्राप्त करना ।

२५: मुस्लिम समुदाय कें विकास हेतु माइनारिटी के नियमानुसार अल्पसंख्यक विद्यालय,महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना

२६: मुस्लिम माइनारिटी के नियमों कापालन करते हुए मदरसों,मकतबों,तहतानिया, फौकानियॉ, आलिया,हाफिज,कारी,मुन्शी,मौलवी,कामिल,आलिम,फाजिल,मुफ्ती,निश्वां मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

२७: मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास के कार्यक्रमों को एन०जी०ओ० के माध्यम से उक्त लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना, जिससे कि उनका समग्र विकास हो सकें ।

२८: मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के समुचित विकास हेतु शिक्षा के समस्त श्रोत्रों से मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को शिक्षित - प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करनों को शिक्षित - प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना

२६: युवक/युवतियों को मोटर ट्रेनिंग देना तथा उन्हें यातायात के नियमों को बताना एव मार्ग चिन्हों को उन्हें समझाने का प्रयास करना , तथा युवक/युवतियो के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

३०: बालक/बालिकाओ,कलाकारो,के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमीनारों गोष्ठियों,प्रदशर्नियो आदि का आयोजन,संचालन करना सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना, ।

३१: गरीब असहाय,निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ,टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना ।

५: संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम, पिता/पति का नाम,पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री हाफिज सरफराज अहमद	श्री कमरूद्दीन अहमद	ग्राम सलेमपुर पो० रामपुर मऊ	अध्यक्ष	कृषि
२:डा० शमीम अहमद	श्री मोबीन अहमद	ग्राम चन्दायर पो० भोपौरा मऊ	उपाध्यक्ष	,,
३:श्री शहजादे खाँ	श्री नवी अहमद	ग्राम भीरा पो० भोपौरा,मऊ	प्रबन्धक	,,
४:श्री नेयाज अहमद	श्री अजमतुल्लाह	ग्राम,पो० नदवा सराय,मऊ	कोषाध्यक्ष	,,
५:श्री मु० आरिफ	श्री इसरारूल हक	ग्राम,पो० हमीदपुर, मऊ	आडीटर	,,
६:सुश्री फरजाना खातून पुत्री	श्री मेहदी हसन	मदापुर, शम्सपुर,पेसी,मऊ	मंत्री	अध्यापन
७:श्री मकबूल अहमद	श्री शुकुरूल्लाह	ग्राम सराय गंगापब्बी पो० नदवा सराय, मऊ	उपमंत्री	,,

६:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृतिं पत्र के अनुसार सो०रजि०ऐक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

दिनॉक 10/9/2015

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

शमीम अहमद

नियाज अहमद

शहजादे

मिलानकर्ता 18-9-15

प्रतिलिपिकर्ता

सरफराज अहमद

मु० आरिफ

फरजाना खातून

मकबूल अहमद

18/9/15

मुहम्मद सईद खॉं मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी ग्राम भीरा पो० भोपौरा, तह० घोसी, जिला-मऊ के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष २०१७-२०१८

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री हाफिज सरफराज अहमद	श्री कमरूद्दीन अहमद	ग्राम सलेमपुर पो० रामपुर, मऊ	अध्यक्ष	कृषि
२:डा० शमीम अहमद	श्री मो० मोबीन	ग्राम चन्द्रापार पो० भोपौरा,मऊ	उपाध्यक्ष	,,
३:श्री शहजादे खॉं	श्री नवी अहमद	गाम भीरा पो० भोपौरा,मऊ	प्रबन्धक	,,
४:श्री नेयाज अहमद	श्री अजमतुल्लाह	ग्राम,पो० नदवा सराय,मऊ	कोषाध्यक्ष	,,
५:श्री मु० आरिफ	श्री इसरारूल हक	ग्राम,पो० हमीदपुर मऊ	आडीटर	,,
६:सुश्री फरजाना खातून पुत्री	श्री मेंहदी हसन	मदापुर,शम्सपुर,घोसी मऊ	मंत्री	,,
७:श्री अब्दुल्लाह	श्री अब्दुल हई	ग्राम भीरा पो० भोपौरा, मऊ	उपमंत्री	,,

कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उ० प्र० आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सरफराज अहमद

शहजादे खॉं

हस्ताक्षर

नियाज अहमद

मु० आरिफ

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
09-6-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AD 304880

~~यह जनरल स्टाम्प पेपर~~ मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम-भीरा पो-भीरा।
~~जिला~~ मऊ ~~फाइल सं~~ A2-17233
~~के~~ व-घसानी की सूची-17-18

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उ0 प्र0 आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

09-6-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AB 803006

यह जनरल स्टाम्प पेपर मुहम्मद सईद एवं मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम-भीरा पो० भीपारा।
जिला मऊ ...... रजिस्ट्रेशन नं० MZ-12233
नियमावली के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उ० प्र० आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़
25/02/2016

मिलानकर्ता 25-2-16
प्रतिलिपिकर्ता ......

मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम–भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त0–घोसी, जनपद–मऊ

नियमावली

1. संस्था का नाम : मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम–भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त0–घोसी, जनपद–मऊ।

2. संस्था का पता : ग्राम–भीरा, पोस्ट– भोपौरा, जनपद–मऊ।

3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति–पत्र के अनुसार।

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

   1. आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति संस्था को 1000.00 या उससे अधिक की चल अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से संस्था को दान देगें, संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।
   2. संरक्षक सदस्य– संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाले वे सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को 200/– हर पांचवें वर्ष अदा करते रहेगें, संस्था के संरक्षक सदस्य बने रहेगें।
   3. सामान्य सदस्य– जो व्यक्ति जनहित में सदैव कार्यरत रहेगें तथा संस्था को 11.00 वार्षिक चंदा देते रहेगें, संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेगें।

1. मोहम्मद 2. कफ़ाउल्लाह 3. समीउल्लाह 4. शहजादे 5. सरफ़राज अहमद 6. शाहनवाज 7. राजसाद

6. सदस्यता की समाप्ति :
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल अथवा दिवालिया होने पर।
   3. संस्था विरोधी कार्य करने पर।
   4. त्यागपत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर।
   5. लगातार 3 बैठकों में बिना कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर।
   6. किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मुकदमें में दण्डीत किये जाने पर।
   7. सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर।

(मुहर: कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उ0 प्र0 आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़)

7. संस्था के अंग : 1. साधारण सभा।
   2. प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा :
   1. गठन– उपरोक्त तीनों प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा गठित होगी। साधारण सभा की सदस्य सं0 17 होगी।
   2. बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठकें कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगी। विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धक के आदेशानुसार मंत्री द्वारा बुलायी जा सकती है।
   3. सूचना अवधि– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को प्रबन्धक के आदेशनुसार मंत्री द्वारा लिखित सूचना के आधार पर सात दिन पूर्व दी जायेगी। विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
25/2/2016

निबन्धक

1- मोहम्मद 2- कफ़ाउल्लाह 3- समीउल्लाह 4- शहजादे 5- सरफ़राज अहमद

मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम–भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त0–घोसी, जनपद–मऊ

4. **गणपूर्ति–** साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा, एक बार कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाने पर उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बुलाई गयी बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

5. **वार्षिक अधिवेशन** की तिथि–साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जो माह मार्च में होगा।

साधारण सभा के कर्त्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
5. संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

1. गठन– प्रबधकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष एवं आडीटर होंगे कुल संख्या–7 होगी। आवश्यकता पड़ने पर संख्या बढ़ायी जा सकती है।
2. बैठकें– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में 2 बार अवश्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक प्रबन्धक के आदेशानुसार मंत्री द्वारा किसी भी समय बुलायी जा सकती है।
3. सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारी/सदस्यों को कम से कम 5 दिन पूर्व देनी होगी। विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।
4. गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का कोरम 4 सदस्यों का होगा। एक बार कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाने पर उसी एजेण्डे पर विचार हेतु पुनः बुलायी गयी बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
5. **रिक्त स्थानों की** पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्त हो जाने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा में से नियमानुसार की जायेगी, लेकिन प्रबन्धक का पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धक के वारिशान में से प्रबन्ध समिति के बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

6. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्त्तव्य–

1. संस्था हित में सभी प्रकार के कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत, वेतनवृद्धि आदि प्रबन्धक की संस्तुति पर करना।
4. संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना।

सहायक निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स आजमगढ़। 5/04/2016

मिलानकर्ता 25 ... प्रतिकर्ता

3– सन्जीउल्लाह 4– शहजादे 5– सरफराज आलम

मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम–भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त०–घोसी, जनपद–मऊ

5. संस्था के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर भी नये चुनाव तक कार्य करना।

7. कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 साल तक होगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारियों का अधिकार व कर्त्तव्य :

1. अध्यक्ष– 1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
   2. बैठकों को बुलाना, अनुमोदन करना।
   3. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
2. उपाध्यक्ष–1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसकी अनुमति के आधार पर करना।
3. प्रबन्धक 1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यकरना।
   2. बैठक की कार्यवाही करना तथा उसको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना।
   3. संस्था की ओर से सभी बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
   4. संस्था की कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत, वेतनवृद्धि आदि करने के लिए प्रबन्ध समिति को अपनी संस्तुति प्रदाने करना।
   5. संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की देख–रेख व सुरक्षा करना।
   6. संस्था के विरुद्ध अथवा संस्था द्वारा दाखिल समस्त मुकदमें की पैरवी संस्था के व्यय पर करना।
   7. संस्था के कार्यकर्त्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उन्हें दण्डित करना।
   8. सदस्यों से चंदा लेना, उसकी रसीद देना।
   9. सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना।
   10. सदस्य योग्य पात्र व्यक्तियों का चयन करना।
   11. सदस्य बनने योग्य व्यक्तियों को अन्तिम निर्णय देना।
   12. किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
   13. संस्था से सम्बन्धित समस्त अभिलेखो का अपने पास रख–रखाव करना।
   14. दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अन्तिम रूप देना तथा उसे क्रियान्वित करना।
   15. प्रबन्धक को 20,000–00 तक आकस्मिक व्यय करने का अधिकार होगा। इससे अधिक के लिए प्रबन्ध समिति से राय लेनी होगी। प्रबन्धक अपने विशेषाधिकार से किसी भी कर्मचारी को 90 दिन

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
30/04/2016

2–[illegible] 3–[illegible] 4–[illegible] 5–[illegible]

मुहम्मद साईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी,
ग्राम– भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त0–घोसी, जनपद–मऊ

के लिए मुवत्तल कर सकता है। इससे अधिक दिनों के लिए प्रबन्ध समिति की बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रबन्धक संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति आदि शिक्षा के नियमों के अनुसार प्रधानाचार्य के परामर्श से कर सकता है लेकिन यह स्थायी तभी माना जायेगा जब प्रबन्ध समिति के बहुमत से इसपर सहमती प्राप्त हो जाय। प्रबन्धक विद्यालय और प्रबन्ध समिति का प्रतिनिधि वैधानिक कार्यो के लिए करेगा और विद्यालय के प्रशासन पर नियंत्रण भी रखेगा।

4. मंत्री– मंत्री का कर्त्तव्य होगा कि वह प्रबन्धक के आदेशानुसार साधारण सभा व प्रबन्ध समिति की बैठक बुलावें और उसकी कार्यवाही लिखें।

5. उपमंत्री– मंत्री की अनुपस्थिति में अथवा अपने कर्त्तव्य पालन में अक्षम हो जाने पर या लिखित रूप में उपमंत्री के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उपयोग एवं अनुपालन करेगा।

6. कोषाध्यक्ष–
1. आय–व्यय का लेखा, जमा का ब्यौरा तैयार करना।
2. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3. प्रबन्धक के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0आ0 में धन जमा करना।

7. आडीटर–
1. संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा अपने पास रखना तथा साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
2. प्रबन्धक के निर्देश पर प्रबन्ध समिति साधारण सभा की बैठक बुलाना।
3. संस्था के कार्यकर्त्ताओ की रिपोर्ट प्रबन्धक को देना।
4. समस्त अखबारी मामलों, विज्ञापनों, प्रचार–प्रसार आदि करना।
5. प्रबन्धक के हर कार्य में मदद करना।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने पर प्रबन्ध समिति के बहुमत से स्वीकृति प्रस्ताव पारित होने पर किया जायेगा जो सदैव के लिए मान्य होगा।

सत्य–प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
3/02/2016

निरीक्षणकर्ता 25.02.2016
प्रतिलिपिकर्ता ......

कार्यालय सहायक निबन्धक ... उ0 प्र0 ... आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम–भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त0–घोसी, जनपद–मऊ

12. संस्था का कोष- संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या पो0आ0 मे खोला जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक द्वारा होगा। आवश्यकता अनुसार संयुक्त खाते भी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों संयुक्त हस्ताक्षर से खोले जा सकेगें।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखा परिक्षण(आडिट)– संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा या प्रबन्ध समिति की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा इसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व– अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा या इसके विरूद्ध होने वाले मुकदमें की पैरवी प्रबन्धक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद मऊ मे ही देखे जा सकेगें।

15. संस्था के अभिलेख : 1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. आय–व्यय रजिस्टर।
5. कैशबुक आदि।
6. सूचना रजिस्टर।
7. पत्र व्यवहार रजिस्टर।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उ0 प्र0 आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

16. संस्था के चल व अचल सम्पत्ति को क्रय–विक्रय करने का अधिकार प्रबन्ध समिति की बहुमत से प्रबन्धक को होगा।

17. संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों के खातो का संचालन प्रबन्धक द्वारा ही किया जायेगा। शासनादेशानुसार एवं आवश्यकतानुसार विभागीय निर्देशानुसार संयुक्त खाते कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों संयुक्त हस्ताक्षर से मान्यता प्राप्त/राष्ट्रीयकृत बैंक/पो0आ0 में खोले जा सकेगें। जिसका संचालन निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार एकल या संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा।

18. प्रबन्धक किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध दुराचरण का प्रमाण मिलने पर कर्मचारी को सेवा मुक्ति कर सकता है। वेतन वृद्धि पद वृद्धि आदि रोक सकता है जो नियमों एवं शिक्षा नियमों के अनुकूल हो।

19. कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अपना त्याग–पत्र प्रबन्धक को देगा। प्रबन्धक अपना त्याग–पत्र अध्यक्ष को देगा। जो प्रबन्ध समिति के बहुमत से स्वीकृत होगा।

20. सदस्यता शुल्क की रसीद प्रबन्धक ही अपने हस्ताक्षर से काट कर दे सकता है। किसी अन्य को कोई अधिकार नहीं होगा।

21. आवश्यकतानुसार प्रधानाचार्य भी प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में एक बार बुला सकता है।

सत्य–प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़
25/04/2016

निबन्धकर्ता
प्रतिलिपि निर्गत

मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम–भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त0–घोसी, जनपद–मऊ

22. प्रधानाचार्य के अनुरोध पर प्रबन्धक किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शिक्षा नियमों के अनुसार कर सकता है जिसके लिए प्रबन्ध समिति की सहमती आवश्यक नहीं होगी।

23. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

कार्यालय सहायक निबन्धक ... आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

ह0 अध्यक्ष

ह0 उपाध्यक्ष

ह0 मंत्री

ह0 प्रबन्धक

मुहम्मद सईद खाँ मुस्लिम वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम–भीरा, पोस्ट–भोपौरा, त0–घोसी, जनपद–मऊ

सत्य–प्रति

सहायक निबन्धक 25/04/2016

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आजमगढ़।

निशानकर्ता

प्रतिलिपिकर्ता